फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रामीण)

मनोहरसिंह बनाम श्रीपाल सिंह

II

मुकदमा नम्बर :– /

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	19/5/25	प्र.क. 3य द्वारा अभियोगिगण की तामीली जारी समाचार पत्र के दो चुनाव जारी समाचार पत्र की अनुपस्थिति है, उसके बावजूद एक पक्षीय कार्यवाही अतः एक दिवस एक पक्षीय कार्यवाही समाप्त के मामले मानी है। पत्रावली प्रकरण प्रवाद अभियोगी सं. 1 ता. 2 हेतु दिनांक 30/5/25 को पेश है।
	30/5/25	प्र.क. 3य अभियोगी सं. 1 ता. 11 को प्रवाद हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रवाद पेश नहीं किया गया। प्रवाद का अवसर बन्द किया जाता है। अहलकार सूची बन्द किया जाता है। अभियोगी का अपालेख किया गया। अभियोगी विपक्षी कि के विरुद्ध खतिआर जावतकार होने से सम्पूर्ण हित निहित है जिसके सम्बन्ध का सम्पूर्ण सम्पूर्ण व अधूरीय हाँ का विस्तारण अभियोगी के पक्ष के बहुत सारा होता है जिसके अभियोगी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अभियोगी का प्रा. पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अभियोगी का [illegible] प्रोसेसिंग फीस [illegible] किया जाकर [illegible] किया जाता है। [illegible] के पक्ष में [illegible] की व्यवस्था [illegible] पत्रावली [illegible] डाकर [illegible] नकल के [illegible] दायर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.07.09 15:23:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner